



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032026-270668  
CG-DL-E-05032026-270668

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1091]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2026/फाल्गुन 12, 1947

No. 1091]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2026/PHALGUNA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2026

का.आ. 1143(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5340(आ) तारीख 21/11/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में NH-751 के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 109.019 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "30/11/2025" को "दिव्य भास्कर" एवम "टाइम्स ऑफ़ इन्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकी सक्षम प्राधिकारी को धारा 3ग के तहत कोई भी व्यक्ति से कुछ भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में NH-751 के कि.मी. 0.00 से कि.मी.109.019 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: अहमदाबाद		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: धोलका					
गांव का नाम: वेजलका					
1	408 (Old S.No. 772)	निजी	कृषि	0.0529	फतेसंग गगुभाई, सविताबेन मावसंगभाई, वसंतबेन मोबतसंग गगुभाई की विधवा, हेतलबेन मोबतसंग, प्रद्युमनसिंह मोबतसंग, प्रकाशबेन धीरूभाई, बलवंतसिंह धीरूभाई, मीनाबेन रणजीतसिंह गगुभाई की विधवा, हिरलबा रणजीतसिंह, जयराजसिंह रणजीतसिंह, किंजलबेन दशरथभाई, पथिकसिंह दशरथभाई, युवराजसिंह दशरथभाई, यशवंतसिंह देवूभाई बारड
2	410 (Old S. No. 776)	निजी	कृषि	0.1288	रतनसंगभाई भगवानभाई, हुलासबेन रतूभाई, गजेन्द्रसिंह रतूभाई, वनराजसिंह रतूभाई, दिग्विजयसिंह रतूभाई
3	412(Old S.No. 783)	निजी	कृषि	0.569	कल्याणसिंह वजेसंग, भरतसिंह वजेसंग, ऊर्वशीबेन छत्रसिंह वजेसिंह के विधवा, आनंद छत्रसिंह, रंजनबेन कल्याणसिंह, अजयसिंह कल्याणसिंह,

					पार्थसिंह कल्याणसिंह, समीरसिंह अजुभाई, भक्तिबा अजुभाई, डिम्पलबेन प्रतापसिंह के विधवा, निसर्गसिंह प्रतापसिंह बारड
<b>Total</b>				<b>0.7507</b>	

[फा. सं. NHAI/Bharatmala/Expressway/Ahmedabad-Dholera/2018/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2026

**S.O. 1143(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 5340(E) Dated:21/11/2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-751 in the stretch of land from K.m. 0.00 to K.m. 109.019 in the district of AHMEDABAD in the state of GUJARAT.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Divya Bhaskar” and “Times of India” both dated 30/11/2025 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has not received any objection under Section 3-C, from any person;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-751 in the stretch of land from K.m. 0.00 to K.m. 109.019 in the district of AHMEDABAD in the state of GUJARAT**

State: GUJARAT			District: AHMEDABAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Dholka</b>					
<b>Village: Vejalka</b>					
1	408 (Old S.No. 772)	Private	Agriculture	0.0529	Fatesang Gagubhai, Savitaben Mavasangbhai, Vasantben widow of

					Mobatsang Gagubhai, Hetalben Mobatsang, Pradhyumansinh Mobatsang, Prakashben Dhirubhai, Balvantsinh Dhirubhai, Meenaben widow of Ranjitsinh Gagubhai, Hiralba Ranjitsinh, Jayarajsinh Ranjitsinh, Kinjalben Dashrathbhai, Pathiksinh Dashrathbhai, Yuvrajsinh Dashrathbhai, Yashwantsinh Devubhai Barad
2	410 (Old S. No. 776)	Private	Agriculture	0.1288	Ratansangbhai Bhagwanbhai, Hulasben Ratubhai, Gajendrasinh Ratubhai, Vanrajsinh Ratubhai, Digvijaysinh Ratubhai
3	412(Old S.No. 783)	Private	Agriculture	0.569	Kalyansinh Vajesang, Bharatsinh Vajesang, Urvashiben of widow Chhatrasinh Vajesinh, Anand Chhatrasinh, Ranjanben Kalyansinh, Ajaysinh Kalyansinh, Parthasinh Kalyansinh, Sameersinh Ajubhai, Bhaktibaa Ajubhai, Dimpalben widow of Pratapsinh, Nisargsinh Pratapsinh Barad
<b>Total</b>				<b>0.7507</b>	

[F. No. NHAI/Bharatmala/Expressway/Ahmedabad-Dholera/2018/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director